न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
94 / 2022	15.03.2022	24-5-23

उनवान

1. बलवीरसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी ग्राम माजरा काठ तह. नीमराना।

वादी।

बनाम

1. कैलाश पुत्र हरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीलासांगा तह. नीमराना।
2. धर्मवीर पुत्र हरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीलासांगा तह. नीमराना।
3. चमेली पुत्री छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
4. लीलाराम पुत्र छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
5. शेरसिंह पुत्र छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
6. बिहारी पुत्र रामदयाल जाति बावरीया निवासी ग्राम फतेहपुरा तह0 नीमराना।
7. उपपंजीयक नीमराना।
8. तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

—::निर्णय::—

दिनांक :– 24-5-23

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 16 / 0.73 है0 वाके ग्राम कोलीलासांगा तह0 नीमराना वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमे मिन वादी का 3 / 08 व प्रतिवादी सं. 01 व 02 प्रत्येक 1 / 16 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 03,04 व 05 प्रत्यके 1 / 12 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 06 1 / 4 हिस्सा के खातेदार काबित काश्त है। उक्त ख.नं. का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस बंटवारे के मुताबिक मिन वादी का हिस्सा 3 / 8 यानि 27.37 एयर भूमि तरफ पश्चिम व प्रतिवादी सं. 01 लगा. 06 का हिस्सा तरफ पूर्व मे स्थित है,एंव इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड मे बंटवारा नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण मिन वादी के हिस्से की आराजी पर काश्त करने व उपयोग,उपभोग करने मे हर समय दिक्कत बाजी एंव मजाहमत पैदा करते है। इस विषय मे मिन वादी ने कई बार प्रतिवादीणगण को आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारे के मुताविक विधिवत रूप से तकासमा करवाने के लिए कहा परंतु प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का तकासमा करवाने के लिए तैयार नही हुए व बिना तकासमा करवाये अच्छे से अच्छे भाग पर जबरन कब्जा कर व अपना बता कर दिगर लोगों का बेचान करने पर आमदा है।इस बात की जानकारी वादी को हुइ तो वादी ने दिनांक 27.02.2022 को से प्रतिवादीगण से कहा कि आप अगर अपने हिस्से का बेचान करना चाहते है तो पहले आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार तकासमा करवाले उसके बाद अपने हिस्से की आराजी का बेचान करो। इस पर प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा करवाने से साफ इंकार हो गए तथा वे जबरन अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर दिगर जगह मुंतकिल करने की फिराक मे है। इसलिए वादी को यह वाद तकसीम आराजी व हु0ई0दवामी पेश करना लाजिम आया है।
2. अंत मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:–

अधिकारी
(अलवर)

(क) डिक्री इस्तकरार हक व तकसीम आराजी इरा अगर की जारी की जावे की आ.ख.नं. 16/0.73 वाके ग्राम कोलीलासांगा तह. नीमराना का बाहमी बंटवारे के मुताबिक मिन वादी के खातेदारी हिस्सा 3/8 तरफ पश्चिम का विधिवत रूप से तकासमा किया जाकर उसका खातेदार मिनवादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे इसी अनुसार शेष खातेदारी हिस्सा तरफ पूर्व का तकासमा किया जाकर उसके हिस्से अनुसार खातेदार प्रति.सं. 01 लगा. 06 को घोषित किये जावे एंव उस पर से वादी का नाम कलमजन किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। इसी अनुसार अलग-अलग खाताबंदी की जाकर हाल राजस्व जमाबंदीयात मे अंकन करने एंव हाल राजस्व नक्शा मे तित्मबा काटने के आदेश फरमावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे नकल जमाबन्दी सं. 2074-77 ग्राम कोलीलासांगा तह नीमराना की है। जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगा. 06 सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होता है।इसलिए विवादित आराजी का मौके के पर कब्जे काश्तानुसार कुर्रे कायम कराये जाकर तकासमा किया जाना उचित प्रतित होता है।दिनांक 21.02.2023 को वादी का वाद प्रा0डिक्री किया जा कर तहसीलदार,नीमराना को मौके पर कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

6. तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2023/1153 दिनाक 05.04.2023 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्रेषित कि गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट सामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी को सुना गया वकील वादीगण ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने वकील वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए वाद वादी बाबत तकासमा आराजी डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

8. अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादीविरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम कोलीला सांगा तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1 बलवीरसिंह पुत्र जयसिंह हि0 सम्पूर्ण जाति जाट सा0माजराकाठ खातेदार	16/2	0.2737 हैक्0	
		कुल किता 01	रकबा 0.2737 हैक्0	
2.	1. कैलाश पुत्र हरदयाल हि0 457/4563 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 2. चमेली पुत्री छोटूराम हि0 608/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा खातेदार।	16/1	0.4563 हैक्0	

धिकारी
अलवर)

	3. धर्मवीर पुत्र हरदयाल हि0 0457/4563 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 4. बिहारी पुत्र रामदयाल हि0 1825/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा। 5. लीलाराम पुत्र छोटूराम हि0 608/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा। 6. शेरसिंह पुत्र छोटूराम हि0 608/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा।			
		कुल किता 01	रकबा 0.4563	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

नोट:- निर्णय प्रतिवादी सं 3,4,5 की जाति अहीर अंकित है उसके स्थान पर बावरिया पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
94/2022	15.03.2022	24-5-23

उनवान

1. बलवीरसिंह पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी ग्राम माजरा काठ तह. नीमराना।

वादी।

बनाम

1. कैलाश पुत्र हरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीलासांगा तह. नीमराना।
2. धर्मवीर पुत्र हरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीलासांगा तह. नीमराना।
3. चमेली पुत्री छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
4. लीलाराम पुत्र छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
5. शेरसिंह पुत्र छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
6. बिहारी पुत्र रामदयाल जाति बावरीया निवासी ग्राम फतेहपुरा तह० नीमराना।
7. उपपंजीयक नीमराना।
8. तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 24-5-23

पर्चा डिक्री

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम कोलीला सांगा तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. बलवीरसिंह पुत्र जयसिंह हि0 सम्पूर्ण जाति जाट सा0 माजराकाठ खातेदार	16/2	0.2737 हैक्0	
		किता 01	रकबा 0.2737 हैक्0	
2.	1. कैलाश पुत्र हरदयाल हि0 457/4563 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 2. चमेली पुत्री छोटूराम हि0 608/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा खातेदार। 3. धर्मवीर पुत्र हरदयाल हि0 0457/4563 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 4. बिहारी पुत्र रामदयाल हि0 1825/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा। 5. लीलाराम पुत्र छोटूराम हि0 608/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा। 6. शेरसिंह पुत्र छोटूराम हि0 608/4563 जाति बावरिया सा0 फतेहपुरा।	16/1	0.4563 हैक्0	
		किता 01	रकबा 0.4563	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

नोट डिक्री में प्रतिवादी सं. 3,4,5 की जाति अहीर अंकित है इसके स्थान पर जाति बावरिया पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.

24/5/2023
मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

Sidd/2023